

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ० साधना शर्मा, आरए०ए०एस०
प्रकरण संख्या-15/16
उनवान:-

जीसीएमएस पॉर्टल नम्बर:-

रामेश्वर पुत्र भूरीसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील मनियां धौलपुर राजस्थान
बनाम

.....वादी

1. अर्जुनसिंह पुत्र भूरी सिंह
2. नारायनसिंह पुत्र भूरीसिंह
3. जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम डण्डौली तहसील मनियां
3. मुन्नी पुत्री भूरीसिंह पत्नी रमुजी जाति लोधा निवासी ग्राम नयापुरा मजरा निधैराकलां तहसील
सैपऊ
4. राधेश्याम पुत्र नत्थीलाल
5. रमेश पुत्र नत्थीलाल
6. जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम मांगरौल तहसील मनियां
6. राजकुमारी पुत्री नत्थीलाल पत्नी विजेन्द्र जाति लोधा निवासी ग्राम बुरहेरा तहसील खेरागढ
जिला आगरा उत्तर प्रदेश
7. सुखन उर्फ शिवकुमार पुत्र मुन्नालाल
8. लखपति पुत्र मुन्नालाल
9. जातिगण लोधा निवासीगण डण्डौली मनियां
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां जिला धौलपुर

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटीएक्ट


दिनांक 29.7.25

निर्णय

वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 08.02.2016 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषाधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 19.07.2024 को प्रारंभिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार मनियां के पत्रांक 25.07.2025 विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों




उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

के दर्जे हिससे अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से छिड़ी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से छिड़ी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी बांके ग्राम सत्तर का पुरा, विरौंधा पटवार हल्का विरौंधा पटवार हल्का डण्डौली पटवार हल्का दुवाटी तहसील मर्नियां व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख.नं.	रकबा (हे०)
1	शमेश्वर पुत्र भूरीसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली खातेदार	डण्डौली	311/1	0.0674
			297/3	0.1854
			300/1	0.1671
			30/1	0.1580
			35/1	0.3341
	सत्तर का पुरा विरौंधा	डण्डौली	582/1	0.1851
			257	0.1138
			390	0.4679
			258/4	1.1172
2	अर्जुन सिंह पुत्र भूरीसिंह जाति लोधा सा। डण्डौली खातेदार	डण्डौली	311/3	0.0627
			297/1	0.1398
			300/3	0.1337
			30/3	0.1266
			35/3	0.2675
	सत्तर का पुरा विरौंधा	डण्डौली	582/2	0.1482
			258/3	0.2296
3	नारायणसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति लोधा सा. डण्डौली खातेदार	डण्डौली	311/2	0.0722
			297/2	0.1806
			300/2	0.1671
			30/2	0.1580
			582/3	0.1851
	सत्तर का पुरा विरौंधा	डण्डौली	35/2	0.3341
4	नारायणसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति लोधा हि. 3208/3341, मुन्नी पुत्री भूरीसिंह हि० 133/3341 जाति लोधा सा. देह खातेदार	डण्डौली	35/2	0.3341
5	महेश पुत्र बाबूलाल जाति लोधा सा. डण्डौली खातेदार	विरौंधा	258/2	0.1496
6	सुखन उर्फ शिवकुमार, लखपति पुत्रान मुन्नालाल हि.व. जाति लोधा सा. डण्डौली खातेदार	विरौंधा	258/1	0.2992



उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

आराजीवात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्ची
डिडी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्त जाता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 22.7.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



(डॉ० साधना शर्मा)
अध्यक्ष (निर्णय)
डॉ० पी० सु०